कार्यालय म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल

कमांक/खाद प्रशासन/1370/2019 भोपाल, दिनांक 22.5.2019

प्रसारण कमांक खरीफ 2019 {1}

प्रति,

1. जिला विपणन अधिकारी,
   म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, समस्त
2. प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक/प्रबंधक,
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,समस्त

विषयः— खरीफ सीज़न 2019 के लिए रासायनिक उर्वरकों की विकय दरें।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमांक/खाद प्रशा./ 5446/ भोपाल दिनांक 10.10.2018, पत्र कमांक/ खाद प्रशा./ 5447/ भोपाल दिनांक 10.10.18, पत्र कमांक/खाद प्रशा0/ 6120 भोपाल दिनांक 3.11.2018 एवं पत्र कमांक/खाद प्रशा0/9497/ भोपाल दिनांक 11.3.2019, उर्वरक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 5.4 2019।

खरीफ 2019 के लिए उर्वरक समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार रासायनिक उर्वरकों की विकय दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

क	नाम उर्वरक	समस्त सहकारी समितियों एवं संस्थाओं के लिए							कृषकों के लिए विकय दर	
		प्रदाय दर (प्रतिटन)	जीएसटी		प्रदाय दर {कालम 3 से 5 का योग}	समिति का वितरण मार्जिन	समिति द्वारा वितरण मार्जिन पर देय कर		प्रतिटन {कालम 6 से 9 का योग}	प्रतिबोरी (50 किग्रा)
			सीजीएसटी	एसजीएसटी			सीजीएसटी	एसजीएसटी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समस्त प्रदायको के लिए										
1	एनपीके 20.20.0.13	18569.48	464.24	464.24	19497.96	421.00	10.53	10.53	19940.02	997.00
2	एनपीके 10.26.26	23007.57	575.19	575.19	24157.95	421.00	10.53	10.53	24600.01	1230.00
3	एनपीके 14.35.14	24912.33	622.81	622.81	26157.95	421.00	10.53	10.53	26600.01	1330.00
4	अमोनियम सल्फेट	10579.00	264.48	264.48	11107.96	421.00	10.53	10.53	11550.02	577.50

2. उक्त दरों में भारत सरकार द्वारा लागू की गई सी.जी.एस.टी. एवं राज्य शासन द्वारा लागू एस.जी.एस.टी. सम्मिलित हैं।
3. जिन समितियों को दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी लागू होने के उपरांत पंजीयन लेना अनिवार्य है, उन समितियों को उक्त अधिनियम में पंजीयन लेकर कर मासिक आधार पर कर भुगतान करने का वैधानिक दायित्व होगा।
4. समितियों द्वारा कृषको को विकय किये जाने वाले उर्वरकों पर वसूल किये गये जी.एस.टी.की राशि में से कय पर भुगतान किये गये जी.एस.टी. की राशि में से घटाकर शेष कर का भुगतान समितियों द्वारा शासन को करने का वैधानिक दायित्व समितियों का होगा।
5. जिला विपणन अधिकारी मासिक कर का रिटर्न निर्धारित समय में लेखा शाखा मुख्यालय भोपाल को प्रस्तुत करेंगे।

d:\e\arpna\kharif 2019\seelling rate\selling rate\selling rate kharif 2019.doc

6. उक्त दरें 01.4.2019 से प्राप्त स्कंध के लिए आगामी सूचना तक प्रभावशील रहेंगी।

7. खरीफ सीजन 2019 के लिए रासायनिक उर्वरकों की (यूरिया एवं एनपीके 12.32.16) विक्रय दरें खरीफ सीजन 2019 के अग्रिम भण्डारण के लिये पत्र कमांक/ खाद प्रशा./ 9497/ भोपाल दिनांक 7/11.3.2019 अनुसार जारी विक्रय दरे आगामी आदेश पर्यन्त तक यथावत् रहेगी। डीएपी एवं पोटाश उर्वरक की विक्रय दरे पृथक से जारी की जावेगी।

7. जिला सहकारी बैक समितियों को निर्देशित करेंगें, कि समितियॉ जी.एस.टी. कर अधिनियम के अनुसार जी.एस.टी. की वसूल की गई राशि कोषालय में समय पर जमा कर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिटर्न जी.एस.टी. विभाग को जमा करेंगी तथा कर का निर्धारण करायेंगी। यह दायित्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों का होगा।

8. जिला सहकारी केन्द्रीय बैक द्वारा समितियों को जारी किये जाने वाले रिलीज आर्डर पर जी.एस.टी. की दर एवं कर की राशि दर्शित की जाना आवश्यक है। अतः रिलीज आर्डर पर दरों के चार्ट कालम 3.4 और 5 में दर्शित दर अनुसार खाद का मूल्य एवं जीएसटी की राशि का पृथक्–पृथक् दर्शाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा समिति को खरीदी पर भुगतान किये गये कर की राशि का रिबेट प्राप्त नही होगा और पूर्ण टैक्स की राशि का दायित्व समिति का होगा।

9. भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग द्वारा मोबाईल एफएमएस योजना के कियान्वयन हेतु रू 50.00 प्रतिटन इंसेटिव के रूप में रिटेलर को देने के लिए दरों में वृद्धि करने के निर्देश दिये गये हैं। रिटेलर को यह इन्सेंटिव राशि, प्रदायकवार प्राप्त की गई मात्रा की पावती की पुष्टि एवं स्कंध की रिपोर्ट मोबाईल एफएमएस के अंतर्गत किये जाने पर संबंधित प्रदायक द्वारा पृथक से विपणन संघ के माध्यम से दी जावेगी। यह राशि भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रदायकों द्वारा भुगतान नही की जा रही है। भविष्य में भारत शासन के निर्देशानुसार भुगतान की जावेगी।

उक्त संशोधित दरों एवं निर्देश से संबंधितों को अवगत करायें।

प्र0महाप्रबंधक{कृ0सा0} 22-5-19
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0,
भोपाल

कमांक/खाद प्रशासन/1370/2019 भोपाल, दिनांक 2.3.2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संभागायुक्त, { समस्त मध्यप्रदेश }
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या0 भोपाल ।
9. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल ।
10. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल ।
11. कलेक्टर { समस्त मध्यप्रदेश }
12. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग { समस्त मध्यप्रदेश }
13. संयुक्त आयुक्त, सहकारी समितियां { समस्त मध्यप्रदेश }
14. मण्डल प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित {समस्त}
15. उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग { समस्त मध्यप्रदेश }
16. उप/सहायक आयुक्त, सहकारी समितियां { समस्त मध्यप्रदेश }
17. प्राचार्य सहकारी प्रबंध संस्थान, त्रिलंगा रोड, भोपाल ।
18. प्राचार्य, सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल ।
19. मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक, मुख्यालय भोपाल ।
20. उप–मुख्यलेखाधिकारी { कृ0सा0}/ वरिष्ठ लेखाधिकारी { खाद } मुख्यालय भोपाल ।
21. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट आई0टी0 मुख्यालय भोपाल।
22. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य सह0विप0संघ मर्या0 मुख्यालय भोपाल।

प्र0महाप्रबंधक{कृ0सा0} 22-5-19
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0,भोपाल